Helpline 1064 | 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **अलवर में नगर विकास न्यास (यू.आई.टी.) का कनिष्ठ अभियंता एवं उसका दलाल (प्राइवेट व्यक्ति) 1 लाख रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *22 अप्रेल शुक्रवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर अलवर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते अमीचंद वर्मा कनिष्ठ अभियंता, निर्माण शाखा, नगर विकास न्यास (यू.आई.टी.) अलवर को उसके दलाल अशोक कुमार बैरवा (प्राइवेट व्यक्ति) को परिवादी से **1 लाख रूपये** की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की अलवर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके प्लॉट पर निर्माण कार्य करने देने और कब्जा करवाकर निर्माण कार्य को नहीं तोड़ने की एवज में अमीचंद वर्मा कनिष्ठ अभियंता, निर्माण शाखा, नगर विकास न्यास (यू.आई.टी.) अलवर द्वारा उसके दलाल अशोक कुमार बैरवा (प्राइवेट व्यक्ति) के माध्यम से **4 लाख रूपये** रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जयपुर के **उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री विष्णुकान्त** के सुपरविजन में एसीबी अलवर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय सिंह** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री महेन्द्र कुमार मीणा** मय टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये दलाल अशोक कुमार बैरवा पुत्र श्री सोहन लाल बैरवा निवासी हिरनोटी, तहसील व थाना रैणी, जिला अलवर (प्राइवेट व्यक्ति) को परिवादी से **1 लाख रूपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी अमीचंद वर्मा पुत्र श्री चेतराम जाटव निवासी ग्राम रोणपुर पोस्ट बुटियाना, तहसील गोविन्दगढ़, जिला अलवर हाल कनिष्ठ अभियंता, निर्माण शाखा, नगर विकास न्यास (यू.आई.टी.) अलवर को भी प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ तथा उसके आवास एवं अन्य ठिकानो पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।